न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 56 / 2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्रीमती विमला देवी परसोया पत्नि छगनलाल निवासी 2 एफ 16, नया हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा।	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा
——अपीलार्थी		——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :— प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 22.09.2021

अपीलार्थियां की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थियां ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 180533 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 12.07.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.08.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक सू0क0अ0 / 2021 / 178 दिनांक 21.09.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थिया द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं —

1. अपीलार्थिया के आवेदन—पत्र से चाही गयी सूचना का नियमानुसार सूचना / जवाब कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के पत्रांक 178 दिनांक 21.09.2021 द्वारा अपीलार्थियां को जरिये डाक प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थिया अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा